संख्या-7/2018/192/35-4-2018

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उ0प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 22 फरवरी, 2018

विषयः केन्द्रीय सेक्टर की एस0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 के माध्यम से Mapping and Acreage Estimation of Horticultural Crops at Block Level योजना से सम्बन्धित Database तैयार किये जाने हेतु अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-646/एस0एस0एस0पी0-09/स्टडीज/2016, दिनांक 30.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Mapping and Acreage Estimation of Horticultural Crops at Block Level योजना से सम्बन्धित Database तैयार किये जाने हेतु रू0 58,12,730.00 की धनराशि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 को अग्रिम भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- एस0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-77/2017/637/35-4-2017, दिनांक 18.12.2017 द्वारा 2,83,39,173.00 (रूपये दो करोड़ तिरासी लाख उनतालीस हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिसमें स्टेटिस्टिकल स्ट्रैन्थनिंग (एसएसएस) योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल नवीनीकृत धनराशि रू0 2,83,39,173.00 (रूपये दो करोड़ तिरासी लाख उनतालीस हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) में से प्रस्तावित कार्य हेतु रू0 58,12,730.00 (रूपये अटठावन लाख बारह हजार सात सौ तीस मात्र) की धनराशि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 को अग्रिम दिये जाने का प्रस्ताव अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 को Mapping and Acreage Estimation of Horticultural Crops at Block Level योजना से सम्बन्धित Database तैयार किये जाने हेतु रू0 58,12,730.00 की धनराशि का अग्रिम आहरण कर रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 को भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1- उक्त अग्रिम धनराशि का आहरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.06.2011 एवं दिनांक 18.09.2015 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

2- कार्यदायी संस्था को धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराने का दायित्व अर्थ एवं संख्या प्रभाग का होगा।

3- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा अग्रिम रूप से आहरित की जा रही समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2018 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए लेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाय।

5- प्रश्नगत धनराशि व्यय के उपरान्त यदि कोई शासकीय हानि/अनियमितता परिलक्षित होती है तो उसके लिए कार्यालय अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ के सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उदयम अनुभाग-2 द्वारा नवनिर्मित प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल,2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.17 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-स्टेट स्ट्रेटेजिक स्टेटिस्टिकल प्लान के अन्तर्गत मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-190/दस-2018, दिनांक 19 फरवरी,2018 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
संयुक्त सचिव।

संख्या-7/2018/192(1)/ 35-4-2018 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा सत्यिनष्ठा भवन 15 थार्निहल रोड इलाहाबाद।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग5-
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।